छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2025–26

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2025–26 का विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

1.	**विभाग का नाम**	:	**वित्त विभाग**
2.	**प्रभारी मंत्री का नाम**	:	**श्री ओ. पी. चौधरी**

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

सचिव	:	श्री मुकेश कुमार बंसल
विशेष सचिव	:	1. श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
विशेष सचिव सह संचालक बजट	:	2. श्री चंदन कुमार
अपर सचिव	:	1. डॉ. ए.के. सिंह
	:	2. श्री अतीश पाण्डेय
संयुक्त सचिव	:	1. डॉ. दिवाकर सिंह राठौर
	:	2. श्रीमती श्रद्धा त्रिवेदी
उप सचिव :	:	1. श्री आनंद मिश्रा
	:	2. श्री ऋषभ पाराशर
	:	3. श्री राजशेखर शर्मा
	:	4. श्री सीताराम तिवारी
	:	5. श्री इन्द्रप्रकाश रात्रे
अवर सचिव	:	1. श्री रोमन गंगाकचूर
	:	2. श्री राजीव कुमार झाड़े
	:	3. श्रीमती शांता खरे
	:	4. श्रीमती हिमशिखा साहू
	:	5. श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय
	:	6. श्रीमती मंजुला लकड़ा
	:	7. श्री संतोष कुमार झारिया
	:	8. श्री निखिल कुमार अग्रवाल
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री प्रवीण चन्द्र भगत
	:	2. श्री उत्कल कुमार शर्मा
	:	3. श्री लोकेन्द्र कुमार साहू
	:	4. श्री सलिल साहू
	:	5. श्री सर्वेश्वर गर्ग

<u>विभागाध्यक्ष</u>

1.	**संचालक, कोष एवं लेखा**	:	श्रीमती पद्मिनी भोई साहू
2.	**संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि**	:	श्रीमती पद्मिनी भोई साहू
3.	**संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा**	:	सुश्री पुष्पा साहू
4.	**संचालक, संस्थागत वित्त**	:	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
5.	**संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली**	:	श्री चंदन कुमार

विषय–सूची

क्र.	अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासकीय विभाग	वित्त विभाग	1 से 8 तक
2.	विभागाध्यक्ष	1. संचालनालय, कोष एवं लेखा	9 से 18 तक
		2. संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि	19 से 26 तक
		3. संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा	27 से 35 तक
		4. संचालनालय, संस्थागत वित्त	36 से 42 तक
		5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	43 से 44 तक

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना

1.1 **विभागीय भूमिका :–** छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के अंतर्गत वित्त विभाग के कार्य को नियम 11 एवं 26 से 33 तक के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है :–

नियम 11 (एक) कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना, ऐसे किन्हीं भी आदेशों को (वित्त विभाग द्वारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोड़कर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों द्वारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हो या जो, विशिष्ट रूप से या तो –

(क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गो से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा–शर्तो से संबंधित हों, या

(ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत, मंजूरी, पट्टा या अनुज्ञप्ति या जल, विद्युत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अन्तर्वलित हों, या

(ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अन्तर्वलित हो,

(घ) सरकार द्वारा कोई गारन्टी दिये जाने संबंधी हो,

(दो) किसी भी प्रस्ताव पर, जिस पर इस नियम के उप–नियम (एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद् द्वारा उस प्रभाव का निर्णय न ले लिया गया हो।

(तीन) कोई भी पुनर्विनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग द्वारा ऐसे सामान्य प्रत्यायोजनों के अनुसार ही किया जावेगा, जो कि (प्रत्यायोजन) वित्त विभाग द्वारा किये गये हों, अन्यथा नहीं.

(चार) उस सीमा के सिवाय जिस सीमा तक कि वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक आदेश, जिसमें कि लेखा परीक्षा में प्राधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा संसूचित किया जाना चाहिये.

(पांच) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को, विनियोग अधिनियम में निविर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिये प्राधिकृत करती है.

नियम –26 वित्त विभाग विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यो का प्रभारी रहेगा :–

(एक) वह, शासन द्वारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित लेखे का प्रभारी होगा और ऐसे ऋणों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देगा.

(दो) वह, अकाल सहायता निधि की सुरक्षा तथा उसके समुचित उपयोग के लिये तथा भविष्य निधि के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा.

(तीन) वह, करों, शुल्कों, उपकरों या फीस के अधिरोपण, वृद्धि, कमी या समाप्ति के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा.

(चार) वह, राज्य द्वारा गारंटी लेने या देने के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा प्रतिवेदन देगा, ऐसे ऋण लेगा, जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये हों, और वह, ऋणों के व्यय (सर्विस ऑफ दी लोन्स) या गारंटी उन्मोचन संबंधी समस्त मामलों का प्रभारी होगा.

(पांच) वह, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अन्य विभागों के मार्गदर्शन के लिये समुचित वित्तीय नियम बनाए जाते है और यह कि अन्य विभागों तथा उनके अधीनस्थ स्थापनाओं द्वारा उपयुक्त लेखे रखे जाते हैं.

(छः) वह, प्रतिवर्ष राज्य की कुल प्राप्ति तथा संवितरण का अनुमान तैयार करेगा तथा वर्ष के दौरान शासन के शेषों की स्थिति पर नजर रखने के लिये उत्तरदायी होगा.

(सात) वह, बजट तथा अनुपूरक अनुमानों के संबंध में –

(क) वह, प्रतिवर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण तैयार करेगा और विधान मण्डल के मत के लिये प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के लिए कोई भी अनुपूरक अनुमानों या मांगों को तैयार करेगा,

(ख) इस प्रकार तैयार किए जाने के प्रयोजन के लिए वह संबंधित विभागों से ऐसी सामग्री जिस पर उसके अनुमान आधारित होंगे, प्राप्त करेगा तथा वह इस प्रकार दी गई सामग्री पर बनाये गये अनुमानों की शुद्धता के लिये उत्तरदायी होगी,

''परन्तु यह कि योजना व्यय के प्राक्कलन तैयार करते समय योजना विभाग से परामर्श किया जायेगा और ये प्राक्कलन यथासंभव उस विभाग द्वारा सुझाए गए आबंटन के अनुसार होंगे, यदि इसमें कोई परिवर्तन हो तो उन्हें, योजना विभाग की टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ विशिष्ट रूप से परिषद् के ध्यान में लाया जायेगा.''

(ग) वह, नये व्यय की समस्त योजनाओं के संबंध में, जिनके लिए अनुमानों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया हो, परीक्षण करेगा तथा परामर्श देगा और ऐसी किसी भी योजना के लिये, जिसका इस तरह परीक्षण नहीं किया गया हो, अनुमानों में व्यवस्था करने से इन्कार करेगा,

(घ) वह, विधानमण्डल द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिये अपेक्षित, सभी रकमों का राज्य संचित निधि से विनियोग तथा सदन के समक्ष तथा प्रस्तुत संचित निधि पर प्रभारित व्यय की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक के पुरःस्थापन की कार्यवाही करेगा,

(आठ) वह, लेखा परीक्षा अधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि पर्यान्त मंजूरी के अभाव में व्यय किया जा रहा है, संबंधित विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिये या आगे व्यय नहीं करने के लिये अपेक्षा करेगा.

(नौ) वह, कार्यकारी पक्ष में विनियोग लेखाओं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश देगा.

(दस) वह, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागों को संग्रहण की प्रगति तथा पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा.

नियम –27 ऐसे किसी पुनर्विनियोग को, जिसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी की आवश्यकता नहीं, मंजूर करने वाले किसी भी विभाग द्वारा पारित समस्त आदेशों की प्रतियां, आदेशों के पारित होते ही, उक्त विभाग को भेजी जाएगी.

नियम –28 विशेष रूप से तथा अन्य विषयों के साथ–साथ निम्नलिखित विषय राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले विषय समझे जायेंगे –

(क) व्यय के लिये विनियोजित किए जाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत रकम से अधिक व्यय करना

(ख) लोक–धन से या भविष्य निधि के निक्षेप से किसी शासकीय कर्मचारी को अग्रिम मंजूर करना

(ग) किराया–मुक्त रियायत मंजूर करना

(घ) विभाग द्वारा निवृत्ति वेतन या अनुकम्पा भत्ते मंजूर करना

(ङ) वित्त विभाग द्वारा या उसकी सहमति से बनाये गये किसी नियम को शिथिल करना

(च) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर प्रभावित व्यय के रूप में घोषित करने के लिये या किसी ऐसे व्यय की रकम में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव

(छ) शासन के ऋणी स्थानीय निकायों के बजट की पुष्टि करने संबंधी मामले

(ज) भू–राजस्व के निलम्बन या परिहार को विनियमित करने वाले नियमों का कोई भी उपांतरण

(झ) विषय से संबंधित नियमों के अनुसार न होकर अन्यथा भू–राजस्व के निलम्बन या परिहार के लिये प्रस्ताव

(त्र) उद्योग को राज्य सहायता या तकाबी अग्रिमों की मंजूरी को विनियमित करने वाले अधिनियमों या नियमों में कोई भी सारभूत उपांतरण

(ट) कर–निर्धारण प्रणालियों में यह विद्यमान कराधान, भू–राजस्व या सिंचाई देयों के उच्चतम परिमाण (पिच) में कोई सारभूत परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव

नियम –29 कार्य नियम 11 द्वारा विहित परामर्श के दौरान वित्त विभाग द्वारा संसूचित किये गये उसके मत, उस विभाग के, जिसका कि वह मामला हो, अभिलेख में दर्ज किए जायेंगे और वे उस मामले के अभिलेख के भाग होंगे.

नियम –30 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री उस मामले के संबंध में, जिसमें कार्य नियम 11 (एक) या (तीन) में उल्लिखित कोई विषय अन्तर्वलित हो, कोई भी कागज–पत्र मंगवा सकेगा और वह मंत्री, जिससे ऐसी मांग की गई हो, कागज–पत्रों को भेजेगा।

(2) उप पैराग्राफ (1) के अधीन मांगे गए कागज–पत्रों की प्राप्ति पर वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री यह निवेदन कर सकेगा कि उक्त कागज–पत्र, उन पर उसकी टिप्पणी सहित, परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे.

नियम –31 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री किसी भी अन्य विभाग से ऐसी कोई भी जानकारी या विवरणी मंगवा सकेगा, जिसे वह वित्त विभाग उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिये समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे.

(2) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री, समस्त विभागों में सामान्य रूप से वित्तीय प्रक्रिया को शासित करने के लिये तथा वित्त विभाग के कार्य को और अन्य विभागों का वित्त विभाग के साथ संव्यवहार को विनियमित करने के लिये नियम उस सीमा तक बना सकेगा जहां तक कि ऐसे नियम वित्त विभाग को किसी भी अधिनियम या उचित प्राधिकार के अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों द्वारा उसको सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिये समर्थ बनने के लिए अपेक्षित हों और अन्य विभागों के भारसाधक मंत्री यह देखने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके विभागों में इन नियमों का पालन किया जा रहा है.

नियम –32 ऐसे किसी प्रस्ताव की छानबीन करते समय, जिस पर कार्य नियम, 11 या किसी सहायक नियम के अधीन वित्त विभाग से परामर्श किया गया हो, उस विभाग का ऐसी स्थिति में यह बताना कर्तव्य होगा जबकि प्रस्ताव में किसी वित्तीय सिद्धांत का या वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित प्रनियमों में से किसी भी प्रनियम का उल्लंघन अन्तर्वलित हो –

(एक) प्रत्येक लोक अधिकारी को शासकीय धन से किये जाने वाले व्यय पर वैसी ही सतर्कता बरतनी चाहिए, जैसी सतर्कता एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपना स्वयं का धन व्यय करने में बरतता है.

(दो) कोई भी प्राधिकारी व्यय मंजूर करने की अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसा आदेश पारित करने के लिये नहीं करेगा, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ उसे प्राप्त होता हो.

(तीन) शासकीय धन का उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय के किसी वर्ग के फायदे के लिये तक नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि –

(1) अन्तर्वलित व्यय की रकम नगण्य न हो, या

(2) रकम का दावा किसी न्यायालय में प्रवर्तित न किया जा सकता हो, या

(3) व्यय मान्य नीति या परम्परा के अनुसरण में न हो.

(चार) भत्तों की रकम, जैसे यात्रा भत्ते, जो कि किसी विशिष्ट प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिये मंजूर की गई हो, इस प्रकार विनियमित की जाए कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्तकर्ता के लाभ के साधन न हो जाये.

नियम –32–क अनुपूरक अनुदेश क्रमांक 32 के अधीन वित्त विभाग को परामर्श के लिये भेजे गए प्रत्येक मामले में वह विभाग अधिकतम पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर अपने मत के साथ उसे विभाग को लौटाएगा. यदि इस समयावधि में मामला वापिस करना संभव न हो तो वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, मामले में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव से चर्चा कर मामले के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करेंगे.

नियम –33 वित्त विभाग को यह विनिश्चित करने की शक्ति होगी कि विशिष्ट विभागों में व्यय की लेखा–परीक्षा को प्राप्तियों की लेखा–परीक्षा द्वारा किस सीमा तक सहायता पहुंचाई जाए.

टिप्पणी – वित्त विभाग द्वारा कार्य नियम के अधीन किए गए प्रत्यायोजन तथा बनाए गए नियम वित्त विभाग द्वारा पृथक रूप से जारी किए गए हैं।

1.2 विभागीय संरचना :–

बजट कार्य के लिए विभाग में 5 बजट शाखाएं (संसाधन शाखा सहित) है, इन बजट शाखाओं के मध्य विभागवार बजट बनाने का कार्य आबंटित है। इनके अतिरिक्त एक प्रशासकीय शाखा, एक नियम शाखा तथा एक आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई है। प्रशासकीय (स्थापना) शाखा में वित्त विभाग के विभागाध्यक्षों के स्थापना एवं प्रशासकीय कार्य संपादित किया जाता है। नियम शाखा में वित्त विभाग के नियमों/अधिनियमों से संबंधित विषयों को देखा जाता है और उनके संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक मत/परामर्श दिया जाता है, तथा पेंशन कल्याण संबंधी कार्य देखा जाता है। राज्य संसाधन शाखा में शासन के ऋणों का संधारण, पुनर्भुगतान एवं प्रबंधन संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। वित्त आयोग (केन्द्रीय एवं राज्य) प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग को वांछित जानकारी तैयार कर प्रेषित करने, राज्य की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले ज्ञापन (मेमोरेण्डम) तैयार करने एवं अनुशंसाओं को लागू करने संबंधी अनुसंगिक कार्यवाही संपादित की जाती है।

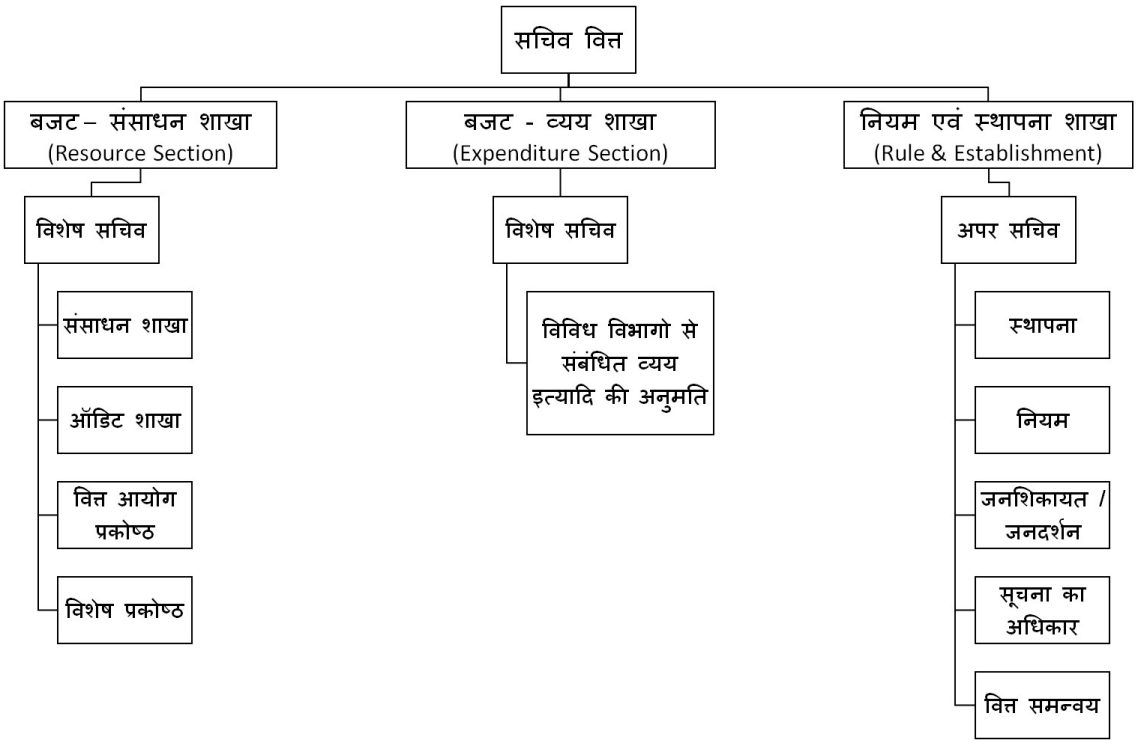

1.3 वित्त विभाग का दायित्व एवं कार्य :–

विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन सहित सभी कमिटेड खर्चो की पूर्ति हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना विभाग का दायित्व है। इसकी पूर्ति हेतु विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

(1) लोक–कल्याणकारी योजनाओं एवं कमिटेड खर्चों हेतु आय एवं व्यय का वार्षिक बजट तैयार करना

(2) बजट संसाधनों में दर्शित लोक ऋणों की प्राप्ति, उनके भुगतान एवं राज्य के उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर लोक ऋणों का समुचित प्रबंधन

(3) अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु समुचित प्रयास

(4) विधानसभा से बजट पारण एवं सर्वसंबंधित विभागों को व्यय हेतु बजट आबंटन जारी करना

(5) शासकीय राशि का मितव्ययितापूर्ण एवं गुणवत्तापरक व्यय सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करना

(6) राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना

(7) राज्य वित्त आयोग का गठन एवं उसकी अनुशंसाओं को लागू करना

(8) केन्द्रीय वित्त आयोग के समक्ष राज्य की ओर से केन्द्रीय राजस्व के बंटवारे एवं राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि के लिए मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना

(9) राज्य में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का विस्तार

(10) छत्तीसगढ़ राज्य के निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण से संबंधित आवश्यक कार्यवाही।

(11) संचालक, **''छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा''** द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करना।

वित्त विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय

1. संचालनालय, कोष एवं लेखा
2. संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि
3. संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
4. संचालनालय, संस्थागत वित्त
5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली

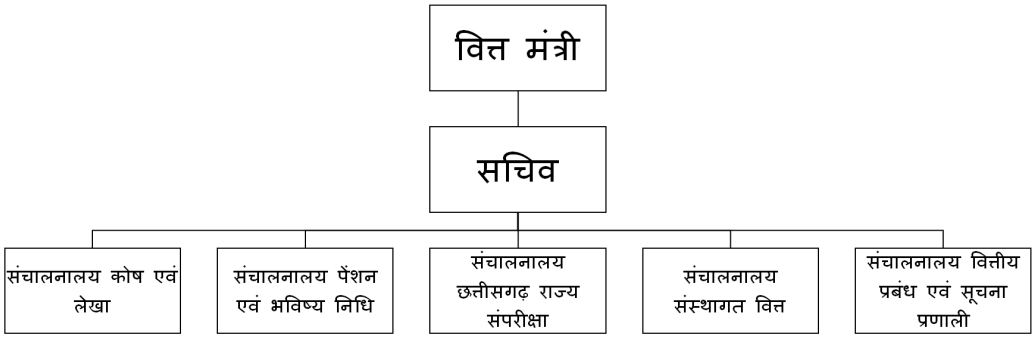

वित्त विभाग अंतर्गत पदानुक्रम

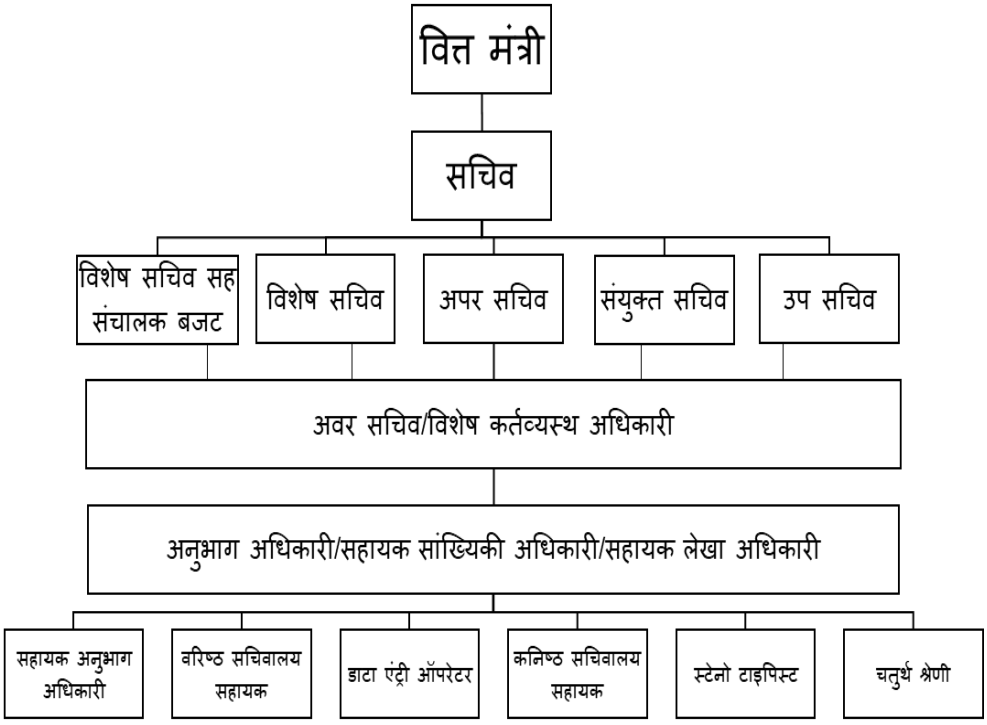

संचालनालय, कोष एवं लेखा छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, प्रथम तल नवा रायपुर अटल नगर

भाग–एक – सामान्य जानकारी

संचालनालय, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य शामिल हैं ।

1 अधीनस्थ कार्यालय :–

संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीनस्थ आडिट प्रकोष्ठ, 05 संभागीय कार्यालय, 33 जिला कोषालय एवं 01 इन्द्रावती कोषालय, 34 उप कोषालय तथा 05 लेखा प्रशिक्षण शालायें है ।

2. स्वीकृत सेटअप :–

संचालनालय, कोष एवं लेखा ऑडिट प्रकोष्ठ एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिये वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है :–

(अ) संचालनालय कोष एवं लेखा के स्वीकृत पदों की जानकारी

क.	पदनाम	मेट्रिक्स लेबल	श्रेणी	स्वीकृत पद
01	आयुक्त/संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01
02	वित्त नियंत्रक	लेवल – 16	प्रथम श्रेणी	01
03.	अपर संचालक	लेवल – 15	प्रथम श्रेणी	02
04.	संयुक्त संचालक	लेवल – 14	प्रथम श्रेणी	08
05.	उप संचालक	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	28
06.	सिस्टम एनालिस्ट	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	01
07.	सहायक संचालक/कोषालय अधिकारी/ अति.कोषालय अधिकारी/ प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	41
08	वरिष्ठ व्याख्याता	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	01
09.	प्रोग्रामर	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	03
10.	सहायक प्रोग्रामर	लेवल – 9	तृतीय श्रेणी	32
11.	सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल – 9	तृतीय श्रेणी	136
12.	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	लेवल – 11	तृतीय श्रेणी	01
13.	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	लेवल – 9	तृतीय श्रेणी	02
14.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	लेवल – 7	तृतीय श्रेणी	07
15.	कार्यालय अधीक्षक	लेवल – 9	तृतीय श्रेणी	01
16.	कार्यालय अधीक्षक	लेवल – 7	तृतीय श्रेणी	03
17.	सहायक ग्रेड–1	लेवल – 7	तृतीय श्रेणी	101

क्र.	पदनाम	मेट्रिक्स लेबल	श्रेणी	स्वीकृत पद
18.	सहायक ग्रेड–2	लेवल – 6	तृतीय श्रेणी	253
19.	निरीक्षक (बीमा)	लेवल – 6	तृतीय श्रेणी	02
20.	सहायक ग्रेड–3	लेवल – 4	तृतीय श्रेणी	316
21.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल – 6	तृतीय श्रेणी	42
22.	वाहन चालक	लेवल – 4	तृतीय श्रेणी	14
23.	दफ्तरी	लेवल – 2	चतुर्थ श्रेणी	39
24	भृत्य	लेवल – 1	चतुर्थ श्रेणी	170
25	चौकीदार	कलेक्टर दर		08
26	वाटरमैन	कलेक्टर दर		40
27	स्वीपर/फर्राश	कलेक्टर दर		43
योग				**1296**

(ब) संचालनालय, कोष एवं लेखा (ऑडिट प्रकोष्ठ) के स्वीकृत पदों की जानकारी

क्र.	पदनाम	मेट्रिक्स लेबल	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	अपर संचालक	लेवल – 15	प्रथम श्रेणी	01
2	संयुक्त संचालक	लेवल – 14	प्रथम श्रेणी	03
3	उप संचालक	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	01
4	सहायक संचालक	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	08
5	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल – 9	तृतीय श्रेणी	16
6	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	लेवल – 7	तृतीय श्रेणी	02
7	सहायक ग्रेड–2	लेवल – 6	तृतीय श्रेणी	04
8	सहायक ग्रेड–3	लेवल – 4	तृतीय श्रेणी	08
9	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल – 6	तृतीय श्रेणी	08
10	वाहन चालक	लेवल – 4	तृतीय श्रेणी	04
11	भृत्य	लेवल – 1	चतुर्थ श्रेणी	05
	योग			**60**

(स) संचालनालय, कोष एवं लेखा (केन्द्रीय प्रबंधन लेखा प्रकोष्ठ) के स्वीकृत पदों की जानकारी

क्र.	पदनाम	मेट्रिक्स लेबल	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	संयुक्त संचालक	लेवल – 14	प्रथम श्रेणी	01
2	उप संचालक	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	01
3	सहायक संचालक	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	02
4	सहायक प्रोग्रामर	लेवल – 9	तृतीय श्रेणी	02
5	सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल – 9	तृतीय श्रेणी	04
6	सहायक ग्रेड–1	लेवल – 7	तृतीय श्रेणी	02
7	सहायक ग्रेड–2	लेवल – 6	तृतीय श्रेणी	02
8	भृत्य	लेवल – 1	चतुर्थ श्रेणी	03
	योग			**17**

3. मुख्य कर्त्तव्य :–

3.1 कोष प्रचालन :– छत्तीसगढ़ राज्य के 05 संभागीय संयुक्त संचालकों, 05 लेखा प्रशिक्षण शालायें, 33 जिला कोषालयों एवं 01 इन्द्रावती कोषालय अटल नगर नवा रायपुर तथा 34 उपकोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है।

3.2 सामान्य भविष्य निधि :– राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान **''ऑनलाईन जी.पी.एफ. फाइनल पेमेंट सिस्टम''** के माध्यम से किया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र भी ऑनलाईन जारी किया जाता है। सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक में राशि का प्रतिमाह अंशदान निकासी एवं अंतशेष का विवरण प्रतिमाह एस.एम.एस. के माध्यम से अभिदाताओं को प्राप्त हो रहा है।

3.3 कोष निरीक्षण :– राज्य के सभी कोषालय तथा उपकोषालयों का छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है।

3.4 संवर्ग प्रबंधन :– राज्य वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है। प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, कोषालयीन लिपिकीय सेवा वर्ग–1 एवं अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की सेवायें राज्य स्तरीय सेवायें है जिनका संवर्ग प्रबंधन भी विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

3.5 लेखा प्रशिक्षण :–राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु 05 लेखा प्रशिक्षण शाला राज्य में स्थापित है। राज्य के समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

3.6 ऑडिट प्रकोष्ठ :– आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है।

4. उपलब्धियां :–

4.1 कोषालय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण :– राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं आय–व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्त कोषालयों एवं उपकोषालयों को दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। जिसमें सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों को संचालनालय के मध्य लीज–लाईन के माध्यम से ऑनलाईन नेट–वर्किंग स्थापित की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य के आय–व्यय की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने में सुविधा होती है। छ.ग. राज्य के कोषालयों में **''ई–कोष''** लागू कर संपूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण का सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे कि डिपॉजिट, ई–कर्मचारी, ई–पेरोल, ई–पेमेंट, पंजी का कैशबुक संधारण, पेंशनर का पी.पी.ओ. जारी करना एवं सूची तैयार करना तथा बजट कन्ट्रोल इत्यादि कार्यो का निर्वहन

किया जा रहा है। वर्तमान में दिनांक 01.04.2017 से पूर्णतः केन्द्रीकृत ऑनलाईन व्यवस्था **साईबर ट्रेजरी** प्रारंभ की गई है जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर में स्थापित सेंट्रल सर्वर के माध्यम से समस्त जिला एवं उपकोषालयों का संपूर्ण कार्य ऑनलाईन संपादित होता है। इससे राज्य शासन के आय–व्यय की संपूर्ण जानकारी सेंट्रल सर्वर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

4.2 **ई–चालान की सुविधा :–** राज्य शासन द्वारा माह अक्टूबर, 2006 से राज्य में वाणिज्य कर विभाग में ई–चालान की सुविधा प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 10.03.2008 से सभी विभागों के लिये भी लागू किया गया है। इस प्रकिया से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर पर ही चालान जमा कर सकता है। लेखांकन हेतु इंद्रावती कोषालय रायपुर को अधिकृत किया गया है। चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रिानिक चालान प्राप्त हो जाता है। यह सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओव्हरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं कार्पोरेशन बैंक के माध्यम से प्रदाय की जा रही है।

वर्तमान में ई–चालान के साथ–साथ राजस्व प्राप्ति का सही लेखांकन हेतु (OTC) Over the counter माध्यम से चालान को जनरेट कर चेक के माध्यम से बैंक में जमा करने की व्यवस्था की जा रही है। भविष्य में लेखांकन एवं स्क्रालिंग संबंधित कोषालयों से लिंक की जायेगी।

4.3 **ई–कुबेर के माध्यम से ई–भुगतान :–** दिनांक 01.06.2022 से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त कोषालयों तथा उपकोषालयो द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के "ई–कुबेर" प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान प्रारंभ किया गया है। इस सुविधा से खाता धारकों को उनके खाते में राशि का अंतरण कम समय में किया जा रहा है।

4.4 **SNA SPARSH :-** भारत सरकार वित्त मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप 44 केन्द्रीय योजनाओं के विरूद्ध 105 राज्य आधारित योजनाओं को 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति में देयकों का प्रस्तुतीकरण SNA-SPARSH के माध्यम से भुगतान किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम 07 राज्यों में से एक राज्य है जिसने सफलतापूर्वक प्रकिया से भुगतान प्रारंभ किया है।

4.5 **e-Kosh & e-Works Integration :-** कार्य विभागों द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित व्यय स्वयं चेक के माध्यम से किया जाता है, उपरोक्त निर्माण कार्य से संबंधित व्यय की जानकारी e-kosh में प्राप्त नहीं हो पाती थी। वर्तमान में निर्माण विभागों के e-works software का integration e-kosh के साथ किया गया है, जिससे उक्त विभागों के व्यय का संपूर्ण विवरण e-kosh portal में प्रदर्शित होता है।

4.6 **कार्मिक संपदा मॉडयूल** :– राज्य के शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों को अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से वर्ष 2019 से कार्मिक संपदा मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है। यह डिजिटल प्लेटफार्म शासकीय सेवकों को उनकी व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी त्वरित एवं सुविधाजनक तरीके से प्रदान करता है। यह सॉफ्टवेयर मूल रूप से छत्तीसगढ शासन के नए अधिकारियों/कर्मचारियों के employee code generation एवं सेवा संबंधित अन्य जानकारी की प्रविष्टि संबंधित कार्य किए जाते है। employee code के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य कार्य किए जाते है।

4.7 **Employee corner** :- शासकीय सेवकों को अपने शासकीय स्वत्वों जैसे GPF/CGPF/CPS/ Salary आदि देखने के लिये एकीकृत ऐप तथा पोर्टल employee corner विकसित किया गया है। इसके माध्यम से शासकीय सेवक शासकीय रिकार्ड में दर्शित विवरण अद्यतन कर सकेंगे। जिससे सेवानिवृत्ति के उपरान्त कार्मिक संपदा अद्यतन न होने के कारण पेंशन प्रकरण तैयार करने में विलंब होने की संभावना को कम किया जा सकेगा। Employee corner में e-KYC का भी प्रावधान किया गया है।

4.8 **GST&TDS Payment :–** ई कोष के अंतर्गत ई–बिल में GST से संबंधित देयकों को तैयार करने हेतु GST portal से CPIN चालान जनरेट कर RBI के virtual account में ई–बिल के माध्यम से देयक तैयार कर कोषालय के माध्यम से भुगतान किए जाने की व्यवस्था लागू की गयी है।

4.9. **e-receipt** – भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारम्भ की गयी e-receipt हेतु IFMIS का इंटिग्रेशन किया गया है, इसके माध्यम से वर्तमान में 09 बैंको का प्राप्ति का डाटा प्राप्त हो रहा है।

4.10 अखिल भारतीय सेवा के सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान के प्रकरण को महालेखाकार ऑनलाईन जीपीएफ फाइनल पेमेंट पोर्टल के माध्यम से भेजे जाने की शुरूआत की गई है।

4.11 शासकीय सेवको के सामान्य भविष्य निधि गुमशुदा कटौत्रा के निराकरण के लिए ऑनलाईन GPF FINAL PAYMENT PORTAL में missing credit module विकसित किया गया है।

5. विभागीय निरीक्षण :– कोषालय संहिता अनुभाग–03 के सहायक नियम 38 के अनुसार कोषालय का विभागीय निरीक्षण किया जाता है। संचालनालय, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत 05 संभागीय संयुक्त संचालक, 33 जिला कोषालय एवं 1 इन्द्रावती कोषालय, 05 लेखा प्रशिक्षण शाला एवं 34 उपकोषालय संचालित है।

संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, संभागीय जिला कोषालयों एवं लेखा प्रशिक्षण शाला का विभागीय निरीक्षण प्रत्येक वर्ष तथा जिला कोषालयों का 03 वर्ष एवं उपकोषालयों का 6 वर्ष में किया जाता है।

संचालनालय कोष लेखा द्वारा अनुमोदित रोस्टर अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में किये जाने वाले विभागीय निरीक्षण निम्नानुसार है –

स. क्रं.	माह	संभागीय संयुक्त संचालक	जिला कोषालय	उपकोषालय
1.	जून, 2025	बिलासपुर	बिलासपुर	अंतागढ़
2.	जुलाई, 2025	––	सूरजपुर	––
3.	अगस्त, 2025	अंबिकापुर	अंबिकापुर	घरघोड़ा / बगीचा वाड्रफनगर
4.	सितम्बर, 2025	दुर्ग	दुर्ग	––
5.	अक्टूबर, 2025	रायपुर	जिला कोषालय रायपुर इन्द्रावती कोषालय	––
6.	नवम्बर, 2025	––	धमतरी / खैरागढ़	––
7.	दिसम्बर 2025	––	मनेन्द्रगढ़ / बालोद	––
8.	जनवरी, 2026	जगदलपुर	जगदलपुर	––
9.	फरवरी, 2026	––	मोहला मानपुर	––

टीपः– सं.क्र. 01 से 07 तक के कार्यालयों का संचालनालय द्वारा निरीक्षण कार्य पूर्ण किया गया है।

माह जनवरी 2026 से फरवरी 2026 तक किये जाने वाले विभागीय निरीक्षण संचालनालय द्वारा निर्धारित समय में पूर्ण किये जायेंगे।

6. विभागीय परीक्षाएं :–

संचालनालय, कोष एवं लेखा नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा निम्नलिखित परीक्षाओं का आयोजन विभागीय परीक्षाएं नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता हैः–

1. लेखा प्रशिक्षण परीक्षा,
2. छ.ग. राज्य वित्त लेखा सेवा परीक्षा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा) भाग–1 एवं भाग–2
3. छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा) भाग–1 एवं भाग–2
4. छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (कोषालयीन एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों के संवर्ग में नियुक्ति हेतु विभागीय परीक्षा) भाग–1 एवं भाग–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह दिसम्बर तक निम्नानुसार परीक्षाओं का आयोजन किया गया है :–

6.1 छ.ग. राज्य वित्त सेवा परीक्षा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा) भाग–1

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
फरवरी–2025 दिनांक 21.04.2025 से 28.04.2025 तक	01	01	–	01	01	0

6.2 छ.ग. राज्य वित्त सेवा परीक्षा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा) भाग–2

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
फरवरी–2025 दिनांक 21.04.2025 से 28.04.2025 तक	10	10	–	10	09	01

6.3 छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा) भाग–1

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
फरवरी–2025 दिनांक 21.04.2025 से 25.04.2025 तक	01	01	–	01	01	–

6.4 छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा) भाग–2

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
फरवरी–2025 दिनांक 21.04.2025 से 25.04.2025 तक	40	35	05	40	01	39

6.5 लेखा प्रशिक्षण परीक्षा

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
फरवरी–2025 दिनांक 26.03.2025 से 04.04.2025 तक	232	226	06	232	130	102
जून–2025 दिनांक 21.07.2025 से 04.08.2025 तक	236	221	15	236	108	128

7. ऑडिट प्रकोष्ठ :– छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 923/782/2013/स्था./चार, दिनांक 26.08.2013 द्वारा लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है।

"ऑडिट प्रकोष्ठ" द्वारा राज्य के समस्त विभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया जाकर विभागों में आर्थिक हानि, वित्तीय अनियमितता तथा वित्तीय नियमों की उपेक्षा आदि से संबंधित प्रकरणों को कार्यालय प्रमुख/विभागाध्यक्ष/शासन के ध्यान में लाया जा रहा है।

8. सूचना का अधिकारः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण कर आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के निर्देशानुसार ऑनलाईन आर.टी.आई वेबसाईट से प्राप्त आवेदनों पर भी इस कार्यालय द्वारा कार्यवाही की गई है। माह जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक प्राप्त आवेदनों में संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई हैः–

संचालनालय, कोष एवं लेखा

स.क्र.	प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रकार	कुल प्राप्त आवेदन	कुल स्वीकृत किये गये आवेदन	कुल आवेदन अस्वीकृत	कुल निराकृत प्रकरण
1	जानकारी प्राप्त करने हेतु 6(1) के तहत ऑफलाईन आवेदन	74	73	01	52
2	जानकारी प्राप्त करने हेतु 6(1) के तहत ऑनलाईन आवेदन	42	42	0	28
3	प्रथम अपील हेतु आवेदन	09	09	00	09
4	द्वितीय अपील हेतु आवेदन	01	01	00	01

9. प्रशिक्षणः– परिवीक्षावधीन राज्य वित्त सेवा/अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण विवरण

क्र.	अधिकारी का विवरण	प्रशिक्षण का विवरण	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
01	राज्य वित्त सेवा अधिकारी (नवनियुक्त)	आधारभूत प्रशिक्षण परिचयात्मक प्रशिक्षण 01	छत्तीसगढ प्रशासन अकादमी निमोरा	05
02	राज्य वित्त सेवा अधिकारी (पदोन्नति से आये)	परिचयात्मक प्रशिक्षण	छत्तीसगढ प्रशासन अकादमी निमोरा	20
03	राज्य वित्त सेवा अधिकारी	बजट एवं लेखाकंन विषय पर प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	छत्तीसगढ प्रशासन अकादमी निमोरा	23
04	राज्य वित्त सेवा अधिकारी	Public Finance Management Budgeting,Public Procurement and Infrastructure Finance विषय पर	राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) नई दिल्ली	10
05	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी(नवनियुक्त)	आधारभूत प्रशिक्षण परिचयात्मक प्रशिक्षण	छत्तीसगढ प्रशासन अकादमी निमोरा	24
06	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	बजट एवं लेखाकंन विषय पर प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	छत्तीसगढ प्रशासन अकादमी निमोरा	34
07	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	पेंशन एवं वेतन निर्धारण विषय पर प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण	छत्तीसगढ प्रशासन अकादमी निमोरा	32
08	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	भण्डार क्रय नियम विषय पर प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण	छत्तीसगढ प्रशासन अकादमी निमोरा	23
			योग	171

भाग–2 बजट एक दृष्टि में–
बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

वित्तीय वर्ष 2025–26 दिनांक 31.12.2025 की स्थिति में

मांग संख्या–06, 2049–ब्याज संदाय

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	शेष	व्यय का प्रतिशत
1	(4192)	समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	30,00,00,000	0	30,00,00,000	0
2	(4198)	समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	38,00,00,000	0	38,00,00,000	0
3	(4209)	परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	6,00,00,000	0	6,00,00,000	0
		योग 2049	**74,00,00,000**	**0**	**74,00,00,000**	**0**

मांग संख्या–06, 2054–राजकोष और लेखा प्रशासन

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	शेष	व्यय का प्रतिशत
4	(1026)	खजाना स्थापना	59,06,97,000	34,13,16,596	24,93,80,404	57.78
5	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन	27,55,57,000	15,08,57,036	12,46,99,964	54.75
6	(3843)	लेखा प्रशिक्षण शाला	2,37,11,000	1,45,02,917	92,08,083	61.17
7	(4307)	संभागीय स्थापना	11,23,27,000	7,11,47,085	4,11,79,915	63.34
8	(8904)	ऑडिट प्रकोष्ठ	5,45,57,000	1,84,05,047	3,61,51,953	33.74
9	(7168)	केन्द्रीय लेखा प्रबंधन प्रकोष्ठ	31,00,000	21,20,040	9,79,960	68.39
		योग 2054	**1,05,99,49,000**	**59,83,48,721**	**46,16,00,279**	**56.45**

मांग संख्या–06, 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	शेष	व्यय का प्रतिशत
10	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन (वाहनों का क्रय)	52,50,000	23,45,217	29,04,783	45
		योग 4070	**52,50,000**	**23,45,217**	**29,04,783**	45
		महायोग	**1,80,51,99,000**	**60,06,93,938**	**1,20,45,05,062**	**33.28**

भाग–तीन

संचालनालय, कोष एवं लेखा के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है। राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अतः इसकी जानकारी निरंक है।

भाग–चार– सामान्य प्रशासनिक विषय :– निरंक ।

भाग–पांच – अभिनव योजना

01. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को पूर्णतया Online किया गया है, जिसमें आहरण संवितरण स्तर से सामान्य भविष्य निधि का प्रकरण आनलाईन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, तत्पश्चात् महालेखाकार कार्यालय से Online Digital हस्ताक्षर युक्त अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है, उक्त digital हस्ताक्षर युक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर ही कोषालयों से सीधे सेवानिवृत्त शासकीय सेवको के बैंक खातों में राशि अंतरित कर दी जाती है। उक्त कार्य जिला कोषालय रायपुर में 01/11/2020 से प्रारंभ किया गया तथा दिनांक 01/04/2021 से समस्त राज्य में Online GPF Final Payment प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया।

02. e-Vouchers and e-Accounts **:-** 01 जुलाई, 2024 से सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (self DDO को छोड़कर) राज्य के सभी कोषालय में देयकों का प्रस्तुतीकरण सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है तथा कोषालयों द्वारा महालेखाकार को भेजे जाने वाले मासिक लेखे को ई–लेखे के रूप में प्रेषित किया जा रहा है। इससे महालेखाकार कार्यालय में कम समय में लेखे का संकलन करना संभव हुआ है।

भाग–छः– विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशनः– निरंक ।

भाग–सात– अन्य विवरण

समूह बीमा योजना –

स क.	डेबिट शीर्ष	वर्ष 2025–26 में प्रावधानित राशि (राशि हजार में)
01	2049-03-108-0000-4192-35-002-बीमा निधि	30,00,00
02	2049-03-108-0000-4198-35-002-बचत निधि	38,00,00
03	2049-03-108-0000-4209-35-002-एफ.बी.एफ.	6,00,00

समूह बीमा योजना 1985

यह योजना प्रदेश के शासकीय सेवकों को कम लागत पर तथा पूर्णतः अंशदायी स्ववित्त पोषण आधार पर सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी सहायता के लिए बीमा सुरक्षा तथा उनकी सेवानिवृत्ति पर उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए एकमुश्त राशि के संदाय का दोहरा लाभ प्रदान करता है।

वर्ष 2017 से इस योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से चतुर्थ श्रेणी हेतु रू. 180/– तृतीय श्रेणी हेतु रू. 300/– द्वितीय श्रेणी हेतु रू. 360/– एवं प्रथम श्रेणी हेतु रू. 480/– का कटौत्रा किया जाता है तथा सेवाकाल में मृत्यु की दशा में क्रमशः श्रेणीवार राशि रू. 1,80,000/–, 3,00,000/–, 3,60,000/–, एवं 4,80,000/– की बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति की स्थिति में बचत निधि की राशि का भुगतान समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित ब्याज दर के अनुसार मय ब्याज किया जाता है।

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, तृतीय तल नवा रायपुर अटल नगर

भाग–एक – सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक 422/640/2022/स्था./चार, दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ कार्यालय को दिनांक 30.01.2023 से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में पेंशन तथा वेतन निर्धारण, अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य तथा छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के लेखांकन एवं संधारण के कार्य शामिल हैं ।

1.1 **स्वीकृत सेटअप :–** छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय के लिए स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार हैः–

संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय के स्वीकृत पदों की जानकारी

स.क्र.	पदनाम	श्रेणी	मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5
1	संचालक	प्रथम	अखिल भारतीय सेवा का वेतनमान	1
2	वित्त नियंत्रक	प्रथम	लेवल–16	1
3	अपर संचालक	प्रथम	लेवल–15	1
4	संयुक्त संचालक	प्रथम	लेवल–14	2
5	उप संचालक	प्रथम	लेवल–13	1
6	सहायक संचालक	द्वितीय	लेवल–12	4
7	प्रोग्रामर	द्वितीय	लेवल–12	2
8	स्टेनोग्राफर–1	तृतीय	लेवल–10	1
9	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	तृतीय	लेवल–9	5
10	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	लेवल–9	4
11	स्टेनोग्राफर–2	तृतीय	लेवल–9	1
12	अधीक्षक	तृतीय	लेवल–8	1
13	सहायक ग्रेड–1	तृतीय	लेवल–7	4
14	स्टेनोग्राफर–3	तृतीय	लेवल–7	1
15	सहायक ग्रेड–2	तृतीय	लेवल–6	6
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	तृतीय	लेवल–6	1
17	सहायक ग्रेड–3	तृतीय	लेवल–4	12
18	स्टेनोटायपिस्ट	तृतीय	लेवल–4	1
19	वाहन चालक	तृतीय	लेवल–4	5
20	दफ्तरी	चतुर्थ	लेवल–2	1
21	भृत्य	चतुर्थ	लेवल–1	4
22	वाटरमेन	चतुर्थ	कलेक्टर दर पर	1
23	फर्राश	चतुर्थ	कलेक्टर दर पर	1
		योग		**61**

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि के अंतर्गत संचालित पेंशन, सीजीपीएफ, एवं सीपीएस मॉड्यूल के क्रियान्वयन हेतु निक्सी के माध्यम से कुल 12 तकनीकी सहायक रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

1.2 मुख्य कर्त्तव्य :– पेंशन प्रकरणों की समीक्षा एवं नियंत्रण, अंशदायी पेंशन योजना /छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का क्रियान्वयन

1.2.1 पेंशन व वेतन निर्धारण :– राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि का है।

1.2.2 अंशदायी पेंशन योजना :– एन.पी.एस. योजनांतर्गत मूल वेतन का 10 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान एवं अखिल भारतीय सेवा एवं केन्द्रीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों को दिनांक 01.04.2019 से तथा राज्य के शासकीय सेवकों को दिनांक 01.04.2022 से 14 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान ट्रस्टी बैंक को नियमित रूप से हस्तांतरित किया जा रहा है।

1.2.3 छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि :– छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता लेखांकन एवं संधारण वित्त विभाग के नियंत्रण में ''संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि'' कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

1.2.4 एन.पी.एस. से ओ.पी.एस. का चयन– पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के फलस्वरूप दिनांक 01.11.2004 से 31 मार्च 2022 तक एन.पी.एस. योजनांतर्गत नियुक्त कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा वित्त निर्देश 02/2023 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का चयन का विकल्प दिया गया है जिसके तहत 2,91,745 शासकीय सेवकों /नॉमिनी द्वारा ओ.पी.एस. के विकल्प का चयन किया गया है जिन्हें ओ.पी.एस. योजना का लाभ देने हेतु उनके पी.आर.ए.एन. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि शासन के निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा करायी जा रही है।

1.3 उपलब्धियां :–

1.3.1 पेंशन :–

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 के मध्य "आभार ऑनलाइन पेंशन मैनजमेंट सिस्टम" के माध्यम से समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालयों द्वारा कुल 10,071 नियमित प्राधिकार पत्र तथा कुल 1,569 पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं।

वर्ष 2024 तक पेंशन प्राधिकृत बैंकों द्वारा अलग–अलग प्रारूप में जिला कोषालय रायपुर को मासिक पेंशन स्क्रॉल प्रदान किया जाता था। इस हेतु common scroll format तैयार कर, समस्त पेंशन प्राधिकृत बैंकों से जिला कोषालय रायपुर को ऑफलाइन एवं संचालनालय को ऑनलाइन स्क्रॉल प्राप्त करने की व्यवस्था विकसित की गई।

पेंशन प्राधिकृत बैंकों से पेन्शनर का मास्टर डाटा प्राप्त करने की व्यवस्था भी विकसित की गई, जिसकी सहायता से संचालनालय द्वारा समस्त सम्भागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालयों तथा जिला कोषालयों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों का डाटाबेस निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के अनुसार बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पेंशनरी दायित्वों का सही विभाजन नहीं किए जाने के कारण मुख्य शीर्ष–2071 अंतर्गत लेखे में विसंगति परिलक्षित हुई, जिसके सुधार हेतु उक्त लेखे के पुनरीक्षण का कार्य संपादित

किया गया। इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लगभग राशि रुपये 1856/– करोड़ मध्य प्रदेश राज्य को भारित कर, छत्तीसगढ़ शासन के खाते में प्राप्त की गई।

साथ ही पूर्व वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2023–24 तक के लेखे में भी विसंगति परिलक्षित होने से इनके पुनरीक्षण का कार्य भी पूर्ण किया गया। उक्त अवधि में हुए त्रुटिपूर्ण लेखांकन के फलस्वरूप कुल राशि रुपये 10,536/– करोड़ मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त की जानी है।

पेंशन, उपदान एवं सारांशीकरण के देयक e-kosh अंतर्गत e-bill के माध्यम से तैयार किए जाते रहें हैं। पेंशनरों के उक्त स्वत्वों के भुगतान हेतु आभार पोर्टल अंतर्गत ही देयक तैयार करने की व्यवस्था विकसित की गई है।

आभार पोर्टल हेतु नवीन website विकसित की गई है।

1.3.2 वेतन निर्धारणः–

राज्य गठन के पश्चात् 31 दिसंबर 2025 तक कुल 2,72,927 प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की गई है।

1.3.3 पेंशनर कल्याण कोष :–

राज्य गठन के पश्चात् पेंशनरों एवं उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारी, दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में एवं श्रवण यंत्र, दंत व चश्मा के प्रकरणों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पेंशनर कल्याण कोष संचालित है। पेंशनर कल्याण कोष में कुल प्राप्त राशि रू. 1,11,10,000 में से आज तक 780 पेंशनरों को वित्तीय सहायता के रूप में 93,57,099/–स्वीकृत किया गया है।

1.3.4 अंशदायी पेंशन योजना

दिनांक 01.01.2004 अथवा इसके पश्चात् राष्ट्रीय कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा में नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी का मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत की राशि अनिवार्य रूप से कटौती कर तथा इसके समतुल्य शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान जमा किया जा रहा है। 01 अप्रैल 2019 से अखिल भारतीय सेवा एवं अन्य केन्द्रीय शासकीय सेवकों हेतु शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान 14 प्रतिशत दिया जा रहा है, इस योजना में अक्टूबर 2025 तक की स्थिति में 7087 शासकीय सेवक शामिल है।

दिनांक 01.11.2004 से 01.04.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए NPS/OPS चयन करने हेतु विकल्प का प्रावधान दिया गया था। जिसके तहत 3088 शासकीय सेवकों द्वारा NPS योजना में बने रहने का विकल्प चयन किया गया है। दिनांक 01.04.2022 से इन शासकीय सेवकों हेतु शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान 14 प्रतिशत प्रदाय किया जा रहा है।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु 01 सितंबर 2019 से Server to Server Integrationके माध्यम से ऑनलाईन PRAN(Permanent Retirement Account Number) आबंटन की कार्यवाही किया जा

रहा है। अभिदाता कार्मिक संपदा हेतु निर्धारित आवेदन डी.डी.ओ. के माध्यम से जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर जिला कोषालय से ऑनलाईन PRAN आबंटित किया जाता है। Server to Server Integration के माध्यम PRAN आबंटित होने से PRAN एवं एम्पलाई आई.डी. साथ ही ई–कोष साफ्टवेयर में सीधे अपडेट हो जाता है। PRAN के किसी विवरण में संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता हो तो Annexure-S2 फार्म में जानकारी भर कर संबंधित जिला कोषालय को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

3. एन.पी.एस. खाते का प्रकार – **अ.** टियर–1 गैर–निकासी योग्य खाते में सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत का योगदान देगा। **ब.** टियर–2 स्वैच्छिक बचत सुविधा, अभिदाता जब भी चाहे इस खाते से अपनी बचत वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. PRAN **खाते में अंशदान जमा की प्रक्रिया** – वेतन से कटौती किये गये अभिदाता के अंशदान को लोक लेखा शीर्ष–8342 एवं नियोक्ता अंशदान को मुख्य शीर्ष–2071 से लोक लेखा शीर्ष 8342 में अंतरण पश्चात् आहरित कर ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है। बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक एवं नियोक्ता का अंशदान चालान के माध्यम से लोक लेखा शीर्ष–8342 में जमा किया जाता है तथा इस शीर्ष से अंशदान को आहरित कर ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है।

5. हितधारी – राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित हितधारी निम्नानुसार हैं–

अ– एन.पी.एस. के अंतर्गत निधि के विनियमन का कार्य पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जा रहा है।

ब– एन.पी.एस. ट्रस्ट एवं ट्रस्टी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक को नियुक्ति किया गया है ।

स– कस्टोडियन–स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

द– राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.04.2009 से केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में एन.एस.डी. एल. (प्रोटीयन) की सेवाऍं ली जा रही है।

ई– फण्ड मैनेजर – एस.बी.आई. पेंशन फण्ड लिमिटेड रिटायरमेंट साल्यूशन लिमिटेड, यूटीआई, एल.आई.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड

6. लाभ –

i.मोबाइल एप्प तथा एनएसडीएल की वेबसाइट में लॉग इन करके त्वरित रूप से एनपीएस खाते से संबंधित विवरण

ii.सेवा का क्षेत्र बदलने पर पेंशन निधि में जमा राशि PRAN खाते के साथ स्थानातरित करने का लचीलापन

iii.कर्मचारियों को कर लाभ– अभिदाता अपने टियर–1 खाते में जमा राशि पर निम्नानुसार करलाभ प्राप्त कर सकता है–

(क) कर्मचारियों का अपना अंशदान धारा 80 सीसीई की 1.50 लाख की समग्र सीमा के भीतर, धारा 80 सीसीडी (1) के तहत कर में छूट

(ख) नियोक्ता का अंशदान– धारा 80 सीसीडी(2) के तहत बिना किसी सीमा के कर में अतिरिक्त छूट

(ग) कर में अतिरिक्त छूट – अतिरिक्त अंशदान करने पर 80 सीसीई के 1.50 लाख की सीमा के अलावा कर में अधिकतम रूपये 50,000/– की छूट 80 सीसीडी 1(ठ) के तहत प्राप्त होगी

7. आंशिक आहरण – योजना के न्यूनतम 3 वर्ष की सदस्यता पश्चात् अभिदाता पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम 3 बार स्वयं के अंशदान का 25 प्रतिशत राशि का आंशिक आहरण कारण सहित आवश्यक दस्तावेज के आधार पर निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है फार्म 601 (वित्त निर्देश 58/2017)

8. निकासी – पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2025 के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण विनियम में संशोधन किया गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत के निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में निहित प्रावधान के अनुसार निकास एवं प्रत्याहरण किया जायेगा।

9. डिफरमेंट – अभिदाता वार्षिकी क्रय हेतु न्यूनतम राशि को 03 वर्ष के लिए तथा अधिकतम एकमुश्त आहरण योग्य राशि को 70 वर्ष की आयु तक आस्थगित करने का विकल्प यदि चाहे तो दे सकता है। इस हेतु अधिवार्षिकी आयु से कम से कम 15 दिन पूर्व इस आशय का सूचना देनी होगी।

10. वार्षिकी क्रय (Annuity Service Providers)– वार्षिकी क्रय हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि का वार्षिकी क्रय करने हेतु PFRDA के द्वारा अधिकृत बीमा कंपनी से सेवाएं ली जाती है। ASP की सूची Website पर उपलब्ध है।

11. ऑन लाईन शिकायत (Grievance)– अभिदाता को PRAN खाते से संबंधित यदि कोई शिकायत हो तो उसके द्वारा स्वयं अथवा डीडीओ के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

1.3.5 छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि ::–

–: छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि योजना :–

1. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 द्वारा दिनांक 01.11.2004 नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (सिविल सेवा पेंशन नियम 1976) लागू किया गया है। पुरानी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके पश्चात नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों पर लागू होगा।

2. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती दिनांक 01.04.2022 से समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के अंनुसार मूल वेतन (परिलब्धियों) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती की जा रही है।

3. वित्त विभाग के नियंत्रण में छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते का आबंटन, लेखांकन एवं संधारण का कार्य संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि के द्वारा किया जा रहा है।

4. पुरानी पेंशन योजना के लागू होने के फलस्वरूप NPS के तहत पंजीकृत लगभग 2,90,921 शासकीय सेवकों का NIC के माध्यम से Bulk में CGPF खाता खोला गया एवं अप्रैल 2022 के वेतन से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत अंशदान कटौती प्रारंभ कर दिया गया है।

5. 01 अप्रैल 2022 से या इसके पश्चात् नव नियुक्त शासकीय सेवको का कार्मिक संपदा हेतु निर्धारित आवेदन के आधार पर डी.डी.ओ. द्वारा इम्पलाई आईडी आबंटित किया जाता है तथा उसी आधार पर ऑनलाईन जिला कोषालय अधिकारी द्वारा CGPF खाता आबंटित किया जा रहा है। इम्पलाई आईडी एवं CGPF खाता आबंटन पश्चात् वेतन आहरण एवं CGPF अंशदान की कटौती प्रारंभ कर दिया जाता है।

6. दिनांक 30 नवम्बर 2025 की स्थिति में लगभग 3.29.374 शासकीय सेवकों के CGPF खातों का संधारण संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा किया जा रहा है।

7. वित्त निर्देश 10/2023 अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर मृत्यु/अशक्तता के प्रकरणों में दिनांक 31.03.2022 के पूर्व संबंधित शासकीय सेवक के प्रान में जमा राशि का समायोजन पश्चात परिवार पेंशन /अशक्तता पेंशन जारी किये जाने का प्रावधान है।

8. वित्त निर्देश 11/2023 अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सेवानिवृत्त के प्रकरणों में दिनांक 31.03.2022 के पूर्व संबंधित शासकीय सेवक के प्रान में जमा राशि का समायोजन पश्चात पेंशन जारी किये जाने का प्रावधान है।

9. सीजीपीएफ योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का ऑनलाईन वार्षिक लेखा पर्ची जारी किया जा चुका है।

10. सीजीपीएफ योजना अंतर्गत सेवानिवृत्ति/मृत्यु के प्रकरणों में सीजीपीएफ फाईनल पेमेंट मॉड्यूल के माध्यम से अंतिम आहरण हेतु ऑनलाईन प्राधिकार पत्र जारी किया जा रहा है।

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस):–

अखिल भारतीय सेवा एवं केन्द्रीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिये एकीकृत पेंशन योजना(यूपीएस) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा दिनांक 01–08–2025 से राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों पर चयनित शासकीय सेवकों के लिये केवल नवीन पेंशन योजना (NPS) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

1.2.6 सूचना का अधिकारः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध ऑनलाईन/ऑफलाईन के माध्यम से माह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक आवेदन पत्रों पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई–

स. क्र.	प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रकार	कुल प्राप्त आवेदन	कुल स्वीकृत किये गये आवेदन	कुल आवेदन अस्वीकृत	कुल निराकृत प्रकरण	कुल लंबित प्रकरण
1	ऑफलाईनआर.टी.आई. आवेदन	32	31	1	23	9
2	ऑनलाईन आर.टी.आई. आवेदन	28	28	0	23	05
3	प्रथम अपील आवेदन	04	04	0	04	0
4	द्वितीय अपील आवेदन	0	0	0	0	0

भाग–दो बजट एक दृष्टि में–
बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

वित्तीय वर्ष 2025–26

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति मे

मांग संख्या–06, 2054–राजकोष और लेखा प्रशासन **(राशि रूपये में)**

क.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1	(6633)	संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना	8,99,96,000	3,26,99,317
योग 2054 –			**8,99,96,000**	**3,26,99,317**

मांग संख्या–06, 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

2	(7000)	पेंशन कल्याण कोष की प्रतिपूर्ति	1,00,000	0
योग 2235 –			**1,00,000**	**0**

मांग संख्या–06, 2071–पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ

3	(6801)	राज्य शासन का अंशदान	50,00,00,000	28,41,10,813
योग 2071 –			**50,00,00,000**	**28,41,10,813**

मांग संख्या–06, 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी

4	(6633)	निदेशन एवं प्रशासन (वाहनों का क्रय)	10,00,000	0
योग 2274 –			**10,00,000**	**0**

मांग संख्या– मुख्य शीर्ष–2049–ब्याज संदाय

स.क.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	वर्ष 2025–26 हेतु प्रावधान	ब्याज समायोजन राशि (दिनांक 31.12.2025 तक)
1	6802	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	1,00,000	0
योग 2049 –			**1,00,000**	**0**

भाग–तीन

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थापना व्यय, पेंशन कल्याण कोष, नवीन अंशदायी पेंशन योजना में राज्य शासन का अंशदान एवं ब्याज संबंधी राज्य द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रतिबद्ध व्यय से संबंधित योजनाएं संचालित हैं। वर्तमान में कोई केन्द्र प्रवर्तित अथवा केन्द्र पोषित योजना संचालित नहीं है।

भाग–चार– सामान्य प्रशासनिक विषय :– निरंक ।

भाग–पांच – अभिनव योजना :– निरंक।

भाग–छः– विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन :– निरंक ।

भाग–सात– अन्य विवरण :– निरंक ।

संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

भाग –एक सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है। राज्य से अनुदान एवं गैर अनुदान प्राप्त समस्त निगम/ मण्डल /आयोग /अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच एवं सत्यापन का कार्य भी किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2025–26 (01.04.2025 से 31.12.2025 तक) की अवधि में, निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं की संपरीक्षा संपादित की गई है, उनका आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अनियमितताओं के संबंध में निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु अभिमत दिया जाता है। अंकेक्षित निकायों के प्रशासकीय विभागों को भी अंकेक्षण की प्रति प्रेषित की जाती है।

2. छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का प्रशासकीय ढांचा :–

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 922/1825/2019/स्था/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11.10.2021 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के इंद्रावती भवन स्थित संचालनालय एवं अधीनस्थ 08 क्षेत्रीय कार्यालयों और उनमें सम्मिलित जिलों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	कार्यालय का नाम	कार्यालय में सम्मिलित जिलों का नाम	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर	राज्य के समस्त जिले	74
2	कार्यालय संयुक्त संचालक, रायपुर-I*	रायपुर	51
3	कार्यालय संयुक्त संचालक, बिलासपुर*	बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, मुंगेली, सक्ती, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	56
4	कार्यालय संयुक्त संचालक, जगदलपुर*	कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, कोण्डागांव	43
5	कार्यालय उप संचालक, राजनांदगांव	राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, खैरागढ़– छुईखदान, मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी	38
6	कार्यालय उप संचालक, रायगढ़	जशपुर, रायगढ़, सारंगढ–बिलाईगढ, कोरबा	38

क्रं.	कार्यालय का नाम	कार्यालय में सम्मिलित जिलों का नाम	कुल पद संख्या
7	कार्यालय संयुक्त संचालक, अम्बिकापुर*	सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़	37
8	कार्यालय उप संचालक, रायपुर-II	महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार–भाटापारा, गरियाबंद	42
9	कार्यालय उप संचालक, दुर्ग	दुर्ग, बेमेतरा	46
कुल पद संख्या			**425**

टीप– (1) क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर–I, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में कार्यालय प्रमुख का पद संयुक्त संचालक का स्वीकृत है।

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2025 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र	पद का नाम	मैट्रिक्स लेबल	श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01	01	0	–
2	अतिरिक्त संचालक	लेबल–15	प्रथम श्रेणी	02	02	0	–
3	संयुक्त संचालक	लेबल–14	प्रथम श्रेणी	06	04	02	–
4	उप संचालक	लेबल–13	प्रथम श्रेणी	12	12	0	–
5	सहायक संचालक	लेबल–12	द्वितीय श्रेणी	34	27	07	–
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	लेबल–8	तृतीय श्रेणी	87	72	15	–
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	लेबल–9	तृतीय श्रेणी	01	01	0	–
8	अधीक्षक	लेबल–9	तृतीय श्रेणी	01	0	01	–
9	मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड 1	लेबल–7	तृतीय श्रेणी	04	03	01	–
10	सहायक अधीक्षक	लेबल–8	तृतीय श्रेणी	01	0	01	–
11	स्टेनोग्राफर	लेबल–7	तृतीय श्रेणी	01	01	0	–
12	सहायक संपरीक्षक	लेबल–6	तृतीय श्रेणी	170	70	100	–
13	लेखापाल	लेबल–6	तृतीय श्रेणी	01	0	01	–
14	सहायक ग्रेड 2	लेबल–6	तृतीय श्रेणी	15	04	11	–
15	डाटा एंट्री ऑपरेटर	लेबल–6	तृतीय श्रेणी	11	01	10	–
16	सहायक ग्रेड 3	लेबल–4	तृतीय श्रेणी	27	08	19	

क्र	पद का नाम	मैट्रिक्स लेबल	श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
17	स्टेनो टायपिस्ट	लेबल–4	तृतीय श्रेणी	05	02	03	–
18	वाहन चालक	लेबल–4	चतुर्थ श्रेणी	09	04	05	''
19	भृत्य	लेबल–1	चतुर्थ श्रेणी	29	04	25	'''
20	चौकीदार (अस्थाई)	लेबल–1	चतुर्थ श्रेणी	08	0	08	''''
योग				**425**	**216**	**209**	

टीप –संयुक्त संचालक (वित्त) के प्रतिनियुक्ति पद शामिल नही है।

'स.क्र. 16 – 01 पद पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

''स.क्र. 18 – 04 पदों पर संविदा से कार्यरत है। 09 रिक्त के विरूद्ध कलेक्टर दर पर कार्यरत है। अतिरिक्त 02 वाहन चालक कलेक्टर दर पर कार्यरत है।

'''स.क्र. 19 – 01 पद पर सी.आई.डी.सी. से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत।

''''स.क्र. 20 – 08 रिक्त पदों के विरूद्ध 07 कलेक्टर दर पर कार्यरत हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के तहत् कुल 13427 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय रायपुर–।, रायपुर–।।, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्रांतर्गत स्थित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य निगमित तथा अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

03. छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का कार्य :– छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का कार्य निम्नानुसार हैं :–

- छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 4(1) एवं 21(3) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समय–समय पर जारी अधिसूचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम के अधीन अंकेक्षणाधीन घोषित समस्त स्थानीय निकायों का अंकेक्षण कार्य संपादित करना।
- ऐसे सभी स्थानीय प्राधिकरणों तथा निगमित और गैर निगमित निकायों के लेखाओं के अंकेक्षण के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को, राज्य शासन के वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति पर, ऐसी किसी भी अन्य संस्थाओं के लेखाओं का अंकेक्षण करना होता है, जो शासन द्वारा समय–समय पर सौंपी गयी हो।
- छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण कार्य के आधार पर स्थानीय निकायों पर अंकेक्षण शुल्क आरोपित कर शासकीय कोष में जमा कराना।
- निकायों के अंकेक्षण कार्य के पश्चात् समक्ष आई वित्तीय अनियमितताओं को संकलित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभागों की ओर अनियमितताओं को दूर करने के उद्देश्य से प्रतिवेदन प्रसारित करना।

- प्रभक्षण, वित्तीय कदाचार आदि के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष प्रतिवेदन निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभाग की ओर प्रेषित करते हुए महालेखाकार को भी सूचित करना।
- स्थानीय निकायों एवं अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का परीक्षण तथा सत्यापन एवं नगर पालिक निगम रायपुर तथा इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन का प्रमाण पत्र जारी कर निराकरण करना।
- शासन या अन्य विभागो के द्वारा समय–समय पर गठित विभिन्न समितियों में इस कार्यालय के ओर से उपस्थित अधिकारियों के द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य।
- अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभागों की ओर प्रसारण उपरांत आक्षेपों के निराकरण हेतु चार माह बाद आगामी अभ्युक्तियॉ जारी करना।
- अंकेक्षणाधीन निकायों के वित्तीय नियमों के परिपालन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- अंकेक्षणाधीन निकायों के प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपनें कर्तव्यों की घोर उपेक्षा किये जाने के फलस्वरूप निकाय निधि से हुये दुर्व्यय या दुरूपयोजन की पूर्ति संबंधित प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10, 11, 12 एवं 13 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करना।
- टी.जी.एस के अंतर्गत समय–समय पर महालेखाकार कार्यालय से समन्वय स्थापित कर कार्य करना।
- छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 4(1) एवं 21(3) के तहत अंकेक्षण उपरांत इन निकायों का समेकित प्रतिवेदन वित्त विभाग के माध्यम से विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।
- अंकेक्षणाधीन निकायों में यथा आवश्यक विभिन्न योजनों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान राशि हेतु ऑनलाईन अंकेक्षण का कार्य एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना।

04. प्रशिक्षण :–कार्यालय महालेखाकार परिसर में समस्त ज्येष्ठ संपरीक्षकों एवं सहायक संपरीक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें विभागीय अधिकारियों सहित ज्येष्ठ संपरीक्षकों एवं सहायक संपरीक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	आयोजन का दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	29.09.2025 से 30.09.2025	29

05. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन :–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा – 18 एवं धारा ''क" के अंतर्गत इस संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नियुक्ति किये गये है।

06. दक्षता संपरीक्षा (Performance Audit):– विगत कुछ वर्षो में विकास कार्यो तथा कल्याणकारी गतिविधियों के संदर्भ में न केवल केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा बल्कि कुछ बड़े स्थानीय प्राधिकरणों, निगमित तथा गैर निगमित निकायों के द्वारा भी किए जा रहे शासकीय व्यय के स्वरूप में

काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस कारण छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा अपने नियमित अंकेक्षण के साथ–साथ छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय मैनुअल, 2004 में दिए प्रावधानों अंतर्गत, दक्षता संपरीक्षा का कार्य भी किया जाता है। इसके अंतर्गत निकायों में प्रचलित योजनाओं के दक्षता लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर योजना लक्ष्यों तथा पुर्वानुमानों के संदर्भ मे वर्ष में योजना व्यय की प्रगति तथा कार्य कुशलता का संपूर्ण मूल्यांकन करते हुए लाभान्वित वर्गो को प्राप्त हुए लाभ की समीक्षा की जाती है। इस अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा प्रतिवेदनाधीन अवधि में अंकेक्षणाधीन निकायों में प्रचलित किसी योजना का दक्षता संपरीक्षा प्रस्तावित है।

07. छत्तीसगढ़ विधान सभा के ''पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय लेखा समिति'' की बैठक :– छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के अंकेक्षण उपरांत तैयार कर समेकित प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब तक कुल 09 समेकित प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत कराए जा चुके हैं। इन प्रतिवेदनों की प्राप्तियों पर विचार /परीक्षण करने के लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा में दिनांक 01.05.2018 को ''पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय लेखा समिति'' का गठन किया गया है। दिनांक 01.04.2025 से 31.12.2025 की अवधि में समिति की कुल 01 बैठक हुई है, जिनमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का वर्ष 2016 में प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं उच्च शिक्षा विभाग का वर्ष 2020–21 प्रस्तुत प्रतिवेदन की चयनित महत्वपूर्ण कंडिकाओं पर समिति द्वारा मौखिक साक्ष्य लिया गया।

08. विभागीय पदोन्नति/ भर्ती :– विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2025 में की गई पदोन्नति की कार्यवाही अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा में कार्यरत 04 ज्येष्ठ संपरीक्षकों को सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया गया तथा पुनः इस कार्यालय में कार्यरत 04 ज्येष्ठ संपरीक्षकों को सहायक संचालक के पद पर पदोन्नति हेतु शासन की ओर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। कार्यरत 04 सहायक संपरीक्षकों को ज्येष्ठ संपरीक्षक के पद, 02 सहायक ग्रेड–2 को मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड–1 के पद, 02 सहायक ग्रेड–3 को सहायक संपरीक्षक के पद एवं 01 चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) को सहायक ग्रेड–3 के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। विभाग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पद सहायक ग्रेड–3 के 01 पद पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रिया पूर्ण की गई।

वर्ष 2025 में विभाग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले 161 रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की ओर पत्र क्रमांक I/32240/2025 दिनांक 16.05.2025 द्वारा प्रेषित किया गया है।

09. विभागीय पदसंरचना की पुनरीक्षण :– संचालनालय द्वारा गठित विभागीय पद संरचना के पुनर्गठन संबंधी समिति के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विभिन्न संवर्गों के कुल 341 नवीन पदों का सृजन प्रस्तावित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 425 है।

10. विभागीय परीक्षा :– छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष–2021 एवं वर्ष–2022 से नियुक्त 7 सहायक संचालको का विभागीय परीक्षा भाग–1 दिनांक 15.12.2025 से 19.12.2025 तक संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा में आयोजित की गयी।

11. विभागीय कम्प्यूटरीकरण (eCSA) :–छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के कार्यों यथा–अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने, आपत्तियों के संग्रहण, अंकेक्षण प्रतिवेदनों का प्रसारण, अंकेक्षण संबंधी अन्य MIS तैयार करने जैसे कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। यह कार्य संचालनालय में पदस्थ तकनीकी दल के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में विभागीय वेबसाईट www.csa.cg.nic.in के अलावा पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों के अंकेक्षण आपत्तियों के इनपुट फार्मेट एवं आउटपुट फार्मेट विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि उपज मंडी समितियों, मण्डी बोर्ड, विश्वविद्यालयों, जीवनदीप समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला/राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, इं.गां.कृ. विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, कामधेनु विश्वविद्यालय में अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों के फार्मेट भी विकसित किए जा चुके हैं। विभागीय वेबसाईट के माध्यम से उक्त निकायों का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रसारित करने की कार्यवाही की जा रही है।

12. ऑडिट ऑनलाईन साफ्टवेयर में पंचायतों के संपरीक्षा कार्य :–राज्य के पंचायत राज संस्थाओं को केन्द्रीय वित्त आयोग (14वें एवं 15वें) के द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि से संपादित कार्यों के लेखाओं की संपरीक्षा निर्देशानुसार भारत सरकार पंचायत राज मंत्रालय द्वारा तैयार 'आडिट आनलाईन साफ्टवेयर' के माध्यम से किया जाना है।

इसके अंतर्गत राज्य के 27 जिला पंचायतों, 146 जनपद पंचायतों एवं 11660 ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि से संपादित कार्यों के लेखाओं का अंकेक्षण ऑडिट ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है।

13. वेतन निर्धारण एवं सत्यापन प्रकोष्ठ :–वित्त विभाग छ.ग. शासन के परिपत्र कमांक कमांक 1533/ एल 11–2/ वित्त/ 2010/ बजट–4/ चार रायपुर, दिनांक 13.10.2011 एवं 788/एफ–01002199/एल–11–2/ब–4 द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मण्डल/आयोग/अर्धशासकीय संस्थाओं तथा शत–प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण हेतु दिए गए निर्देशानुसार राज्य के समस्त स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों, निगमों, मंडलों एवं आयोगों एवं अनुदान प्राप्त समस्त संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन भत्तों का निर्धारण एवं सत्यापन का कार्य संचालनालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 01.04.2025 से 31.12. 2025 तक) में कुल 10465 वेतन निर्धारण प्रकरणों का सत्यापन किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कुल 166 पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

14. विधानसभा प्रकोष्ठः–संचालनालय स्थित विधान सभा प्रकोष्ठ के द्वारा नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के संपादित संपरीक्षा का समेकित प्रतिवेदन तैयार कर वित्त विभाग के माध्यम से विधान सभा में प्रस्तुत कराया जाता है। प्रतिवेदन प्रस्तुत

करने के पूर्व इस पर छत्तीसगढ़ महालेखाकार द्वारा Peer Review (सहकर्मी समीक्षा) किया जाता है। संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु गठित विधानसभा समिति के निर्देशानुसार मौखिक साक्ष्य हेतु आपत्तियों का चयन तथा आपित्तयों के निराकरण, साक्ष्य अभिलेखों का संधारण आदि की कार्यवाही भी इस प्रकोष्ठ के द्वारा की जाती है।

15. विश्वविद्यालय प्रकोष्ठः—छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय मैनुअल, 2023 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुमोदन संचालनालय के द्वारा किया जाना है इस हेतु संचालनालय में विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत संपरीक्षित समस्त विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर, अनुमोदित कराया जाता है एवं इस अनुमोदित प्रतिवेदनों का प्रसारण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा किया जाता है।

16. जनकार्य दिवस की स्थिति :—

अ वित्तीय वर्ष 2024—25 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थीः—

01.04.2024 को अवशेष	2024—25 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2024—25 में संपादित कार्य (31.03.2025 तक)	31.03.2025 को अवशेष
9,41,639	45,225	9,86,864	34,719	9,52,145

ब वित्तीय वर्ष 2025—26 (31.12.2025 तक) में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थीः—

01.04.2025 को अवशेष	2025—26 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2025—26 में संपादित कार्य (31.12.2025 तक)	31.12.2025 को अवशेष
9,52,145	50,795	1,00,2,940	14,781	9,88,159

17. संपरीक्षा शुल्क :—

अ. 2024—25 में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थीः—

01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	2024—25 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.03.2025 तक)	दिनांक 31.03. 2025 को अवशेष
23,38,97,058	5,15,81,393	28,54,78,451	2,07,71,963	26,47,06,488

ब. 2025—26 (31.12.2025 तक) में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थीः—

01.04.2025 को प्रारंभिक शेष	2025—26 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.12.2025 तक)	दिनांक 31.12. 2025 को अवशेष
26,47,06,488	7,69,95,941	34,06,789,84	4,38,30,796	29,78,71,633

18. संपरीक्षा प्रतिवेदन :—वित्तीय वर्ष 2024—25 एवं 2025—26 (31.12.2025 तक) में विभिन्न संस्थाओं/ निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :—

अ वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार रही थीः—

01.04.2024 को प्रसारण हेतु अवशेष	2024—25 में (31.03.2025 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2024—25 में (31.03.2025 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.03.2025 को प्रसारण हेतु अवशेष
38	15,203	15,241	15,184	57

ब वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 31 दिसम्बर 2025 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :–

01.04.2025 को प्रसारण हेतु अवशेष	2025–26 में (31.12.2025 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2025–26 में (31.12.2025 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.12.2025 को प्रसारण हेतु अवशेष
57	389	446	382	64

19. निराकृत आपत्तियां :–

वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 (31.12.2025 तक) की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी:–

अ. वित्तीय वर्ष 2024–25 की स्थिति में :–

प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत आडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि रूपये में
694514	134942	829456	2905	826551	3,23,33,25,00,000

ब. वित्तीय वर्ष 2025–26 (31.12.2025 तक) की स्थिति में :–

प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत आडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि रूपये में
826551	48438	831389	2544	828845	3,28,66,61,00,000

20. प्रभक्षण :–

लेखा नियमों की अवहेलना तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :–

दिनांक 31.12.2025 तक अनिराकृत प्रभक्षण प्रकरणों की संख्या	प्रभक्षण प्रकरणों सन्निहित राशि रूपये में
2255	11,71,00,000

21. अधिभार :–

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जिसमें किसी अधिकारी/कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैध व्यय हुआ

हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ. वित्तीय वर्ष 2024–25 की स्थिति में :–

क्र	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रूपये में	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रूपये में
1	अधिभार आरोप पत्र	18	13,60,105	0	18	13,60,105
2	अधिभार सूचना	9	2,01,056	0	9	2,01,056
3	अधिभार आदेश	30	4,33,820	0	32	4,33,820
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	25	1,62,614	0	25	1,62,614

ब. वित्तीय वर्ष 2025–26 (31.12.2025 तक) की स्थिति में :–

क्र	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रूपये में	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रूपये में
1	अधिभार आरोप पत्र	18	13,60,105	0	18	13,60,105
2	अधिभार सूचना	9	2,01,056	0	9	2,01,056
3	अधिभार आदेश	30	4,33,820	0	30	4,33,820
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	25	1,62,614	0	25	1,62,614

भाग – दो

बजट :–छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर के द्वारा संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये आबंटित बजट में से दिनांक 31.12.2025 तक कुल राशि रूपये 16.33 करोड़ व्यय हुआ है ।

भाग – तीन

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण :– छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों के सहायक संचालक, उप संचालक एवं संयुक्त संचालक के द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत अंकेक्षणाधीन निकायों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है।

संचालनालय में पदस्थ अधिकारियों के द्वारा भी समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है।

संचालनालय संस्थागत वित्त
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए चतुर्थ तल नवा रायपुर अटल नगर

भाग–1

01. संचालनालय के गठन का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालनालय संस्थागत वित्त की स्थापना की गई है। तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये हैं :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुड़े कार्य।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य।
4. बैंकों में शासकीय जमा हेतु बैंकों के इम्पैनलमैन्ट संबंधी कार्य।
5. Public Expenditure Tracking System - Management Information System (PETS MIS) के अंतर्गत इम्पैनल बैंकों से प्राप्त शासकीय जमा के आंकड़ों का संकलन।
6. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन।
8. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।
9. प्रधानमंत्री की बीमा योजनाओं (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना) के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूँकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, अतः संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे। संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ अगस्त 2014 को किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत दिनांक 17.12.2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 185 लाख (Source-https://pmjdy.gov.in/statewise-statistics) से ज्यादा व्यक्तियों ने बैंकों में नये खाते खोले है।

वित्तीय समावेशन की अगली कड़ी में भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एवं अटल पेंशन योजना (APY) का शुभारंभ किया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनो महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में सितम्बर 2025 तक PMJJBY के अंतर्गत 59.51 लाख, PMSBY के अंतर्गत 155.61 लाख लोगो ने अपना पंजीकरण कराया है। अटल पेंशन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों एवं पेंशन विहिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन प्रदान करना है के अंतर्गत दिनांक 30.09.2025 की स्थिति में राज्य के 15.64 लाख से अधिक जनसंख्या अटल पेंशन योजना से जुड़ चुकी है। (Source-SLBC)

सम्पूर्ण भारत में प्रधान मंत्री जनधन योजना अंतर्गत 47.29 प्रतिशत (जनगणना 2011 अनुसार दिनांक 17.12.2025 की स्थिति में (https://pmjdy.gov.in/account) से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले गये हैं, जबकि इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य के 72.58 प्रतिशत से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत भारत में जनसंख्या अनुसार 44.09 प्रतिशत से अधिक लोग लाभान्वित है जबकि इस योजना में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या अनुसार 60.91 प्रतिशत लोग लाभान्वित है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जनसंख्या अनुसार भारत में 20.07 प्रतिशत हितग्राही हैं जबकि इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य जनसंख्या अनुसार में 27.21 प्रतिशत से अधिक हितग्राही हैं।

02. अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज की सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य में अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है। अल्प बचत योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

1. किसान विकास पत्र
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जमा योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट एवं ए.पी.के.वी.वाय एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देख–रेख में जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है।

03. संचालनालय का प्रशासकीय ढ़ॉचा–

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर एवं चिन्हित स्थलों पर क्षेत्रीय अमला स्वीकृत है।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्र.	पदनाम	मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01	01	–	–
2.	अतिरिक्त संचालक	लेवल–15	01	01	–	आरबीआई से प्रतिनियुक्ति पर
3.	संयुक्त संचालक	लेवल–14	02	01	01	राज्य वित्त सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर
4.	प्रोग्राम आफिसर (ईएपी)	लेवल–14	01	01	–	–
5.	उप संचालक	लेवल–13	01	01	–	राज्य वित्त सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर
6.	सहायक संचालक	लेवल–12	02	–	02	राज्य वित्त सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर
7.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	लेवल–12	01	01	–	
8.	सहायक सॉख्यिकी अधिकारी	लेवल–9	01	–	01	–
9.	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	लेवल–9	03	–	03	अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग
10.	क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन अधिकारी	लेवल–9	03	03	–	3 डाईंग कैडर
11.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	लेवल–9	01	01	–	–
12.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	लेवल–7	01	01	–	–
13.	लेखापाल	लेवल–6	01	–	01	–
14.	सहायक वर्ग–2	लेवल–6	01	01	–	–
15.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	लेवल–6	03	03	–	–
16.	क्षेत्रीय सहायक (वित्तीय समावेशन)	लेवल–5	01	01	–	1 डाईंग कैडर
17.	सहायक ग्रेड–3	लेवल–4	05	02	03	1 डाईंग कैडर
18.	वाहन चालक	लेवल–4	02	01	01	
19.	भृत्य	लेवल–1	03	03		
20.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	01	–	–
	योग		**35**	**23**	**12**	

वित्त विभाग के पत्र क्र. 1061/1775/ 2018/स्था/चार, दिनांक 20.08.2019 द्वारा डाटा एण्ट्री आपरेटर के 01 पद को समर्पित करते हुए सहायक प्रोग्रामर का 01 पद सृजन करने हेतु सहमति प्रदान की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ हैं। प्रोग्राम आफिसर (ईएपी), प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेनोग्राफर वर्ग–3, भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं।

भाग–2

बजट प्रावधान एवं व्यय

अ.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबद्व कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

- विभागीय उपलब्ध बजट

(आंकड़े लाख रू. में) (24 दिसंबर 2025 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष		प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि	#01	199.25	100.90	98.35
02	मजदूरी	#02	3.00	1.98	1.02
03	यात्रा भत्ता	#03	6.00	0.00	6.00
04	कार्यालय व्यय	#04	39.90	3.00	36.90
05	प्रशिक्षण	#05	1.00	0.00	1.00
06	व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां	#10	19.00	8.64	10.36
07	प्रशिक्षण	#18	1.00	0.40	0.60
08	अनुरक्षण पर व्यय एवं उपकरण	#24	1.20	0.05	1.15
		योग–	**270.35**	**114.97**	**155.38**

ब.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबद्व कार्यालय
2435–अन्य कृषि कार्यक्रम
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त

(आंकड़े लाख रू. में) (22 दिसम्बर 2025 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज–0101–5628	6700.00	2406.11	4293.89
02	लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना –0101–8671	0.01	0.00	0.01

स.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबद्व कार्यालय
7836–अल्प बचत

- **विभागीय उपलब्ध बजट**

(आंकड़े लाख रू. में) (24 दिसम्बर 2025 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष		प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि	#01	125.02	46.98	78.04
02	यात्रा भत्ता	#03	1.05	0.00	1.05
03	कार्यालय व्यय	#04	7.25	0.08	7.17
		योग–	131.60	72.91	58.69

भाग–3

संचालनालय के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ :–

1. संचालनालय के सफल प्रयास से बैंक सुविधा रहित ग्रामों की संख्या में वृद्धि हुई है। सितम्बर, 2025 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,551, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 948 एवं शहरी क्षेत्रों में 1,034 सहित कुल 3,533 बैंक शाखा कार्यरत रही है। **बैंकों का साख जमा अनुपात (CD Ratio) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 60% के विरूद्ध सितम्बर, 2025 में 80.62% हुआ है।** राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 40% के विरूद्ध सितम्बर, 2025 में 53.25% हो गया हैं। कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 18% के विरूद्ध सितम्बर, 2025 में 17.41% हुआ है। कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 12% के विरूद्ध सितम्बर 2025 में 14.11% हुआ है। (Source-SLBC data)

2. **अग्रणी बैंक योजना** के अंतर्गत् प्रदेश के 33 जिले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किए गए हैं। अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है। शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है। अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का गठन किया गया है, जिनकी बैठकें प्रत्येक तिमाही आयोजित की जाती है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 05 उपसमितियां भी हैं जो विभिन्न विषयों (वित्तीय समावेशन, कृषि, शासन प्रायोजित योजनाएं, डिजिटल भुगतान, स्टीयरिंग समिति) पर गठित की गई हैं।

3. **बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना प्रकोष्ठ (ब्रिस्क) का क्रियान्वयन :–** शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत् व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन प्रयत्नशील हैं। इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जिसके लिए वसूल की गई राशि का 2.5 प्रतिशत राज्य शासन के खाते में जमा किया जाता है।

4. **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) सेल :–** राज्य में हितग्राहियों को सुचारू रूप से लाभ पहुंचाने हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को end to end digitization (EED) करने हेतु भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए थे। तद्नुसार विभाग में DBT Cell का गठन किया गया है। यह Cell DBT मिशन, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाओं को EED करने हेतु अपना योगदान दे रहा है साथ ही DBT भारत पोर्टल पर इन योजनाओं से संबंधित जानकारी अंकित करने का कार्य सम्पादित कर रहा है। राज्य में कुल 84 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं 98 राज्य प्रवर्तित योजनाएं DBT के अंतर्गत चिन्हित किये गये हैं।

5. **पीपीपी (Public Private Partnership Project) :–** पीपीपी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की संस्थाओ के बीच एक संरचित भागीदारी व्यवस्था है, जो भागीदारों के बीच संसाधनों, जोखिम और प्रतिफल का समुचित आवंटन इस तरह करती है, ताकि पूर्व निर्दिष्ट परिणामों को संस्थागत ढांचे के द्वारा जनता के पैसे के उचित मूल्य के अनुरूप प्राप्त किया जा सके। इस व्यवस्था के तहत बुनियादी परिसंपत्ति या सुविधा या संबंधित सेवाओं के संबंध में निजी संस्थाएं डिजाइनिंग, वित्त पोषण, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन या इन गतिविधियों में से कुछ का संयोजन, पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूर्णतः या अंशतः करती है। इन विशेषताओं और मानकों के अनुरूप उपलब्धि का सत्यापन एवं सार्वजनिक इकाई या उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पीपीपी से संबंधित कार्य करने तथा राज्य सरकार के अधोसंरचना कार्य करने वाले संबंधित विभागों एवं भारत सरकार से समन्वय करने हेतु संचालक, संचालनालय संस्थागत वित्त छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। इस कार्यालय द्वारा वर्तमान में सभी विभागों से पूर्ण, प्रक्रियाधीन एवं नवीन पीपीपी योजनाओं की जानकारी एकत्र एवं संकलित की जा रही है।

6. **पी.एफ.एम.एस. (पब्लिक फाइनेंसियल मैंनेजमेंट सिस्टम)** जिसे मुख्यतः सी.पी.एस.एम.एस. (सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम) भी कहा जाता है। यह सी.जी.ए. (कंट्रोलर जनरल ऑफ अकांउट) के अंतर्गत वेब आधारित ऑनलाईन पोर्टल है। इस पोर्टल के द्वारा भारत शासन के अंर्तगत विभिन्न मंत्रालयो द्वारा विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को विमुक्त की गई राशि की निगरानी एवं जमीनी स्तर तक के उपयोगीकरण का पर्यवेक्षण किया जाता है। पी.एफ.एम.एस. को प्रथमतः केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए एस.एन.ए. मॉडल अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु तैयार किया गया था, किन्तु वर्तमान में इसे एस.एन.ए. SPARSH मॉडल में परिवर्तित कर Just In Time Payment हेतु उपयोग किया जा रहा है। पी.एफ.एम.एस. पोर्टल का उपयोग राज्य कोषालय खाते एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के बैंक खातों के माध्यम से निधियों की गणना करके वेंडर/लाभाथिर्यो को डीबीटी और गैर डीबीटी भुगतान हेतु किया जाता है।

एसएनए मॉडल अंतर्गत भारत सरकार के आदेशानुसार संबंधित विभागों द्वारा राज्य को जारी की गई राशि में केन्द्रांश एवं राज्यांश को 30 दिनों के भीतर कोषालय से एस.एन.ए. खाते में अंतरित किया जाना होता है। ऐसा न होने की स्थिति में अनाहरित केन्द्रांश की निधि पर दण्डात्मक ब्याज का प्रावधान भी है। पी.एफ.एम.एस. के प्रयोग से राशि के समय पर उपयोग में प्रगति हुई है। इसी तारतम्य में भारत सरकार द्वारा अब SNA-SPARSH मॉडल को लागू किया गया है। **गत वर्ष 19 केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को राज्य में SNA-SPARSH मॉडल के माध्यम से लागू करने के फलस्वरूप केन्द्र सरकार से 500 करोड़ की राशि राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना 2024–25 अंतर्गत पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई थी।** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के 19 विभागों की 42 योजनाओं को SNA-SPARSH मॉडल अंतर्गत लागू किया गया है, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष भी **राज्य को उपर्युक्त योजनांतर्गत 350 करोड़ भारत सरकार से पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होना है।**

संचालनालय, संस्थागत वित्त के द्वारा नोडल कार्यालय के रूप में, पी.एफ.एम.एस. अंतर्गत SNA-SPARSH मॉडल का क्रियान्वयन वित्त विभाग के समन्वय के साथ किया जा रहा है। **SNA-SPARSH के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 05 राज्यों में शामिल है।**

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़

महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया था। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य संपादित किये जाते हैं।

वर्ष 2025–26 में कार्यालय की गतिविधियांः–

प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025–26 संकलित कर निर्धारित प्रारुप में तैयार किया गया। तथा वर्ष 2026–27 के मुख्य बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है।

संगठनात्मक ढांचाः–

संचालनालय हेतु निम्नलिखित पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

स.क्र.	पदनाम	श्रेणी/संवर्ग	मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृत पद
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	––	पदेन
2	अपर संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	लेवल–15	01
3	संयुक्त संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	लेवल–14	01
4	उप संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	लेवल–13	01
5	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	लेवल–12	01
6	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	लेवल–12	01
7	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	लेवल–9	02
8	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	लेवल–9	01
9	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	लेवल–9	01
10	सहायक ग्रेड–01	तृतीय श्रेणी	लेवल–9	01
11	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	लेवल–6	01
12	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	तृतीय श्रेणी	लेवल–7	01
13	स्टेनोग्राफर हिन्दी	तृतीय श्रेणी	लेवल–7	01
14	सहायक ग्रेड–02	तृतीय श्रेणी	लेवल–6	01
15	सहायक ग्रेड–03	तृतीय श्रेणी	लेवल–4	03
16	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	लेवल–4	04
17	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	लेवल–1	03
	योग			**24**

बजट आबंटन तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2025–26)

31 दिसंबर, 2025 की स्थिति में

(राशि रुपये में)

क्र.	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट आबंटन			वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
				मुख्य बजट	अनुपूरक	कुल बजट	
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	8,32,83,000	100	8,32,83,100	4,90,16,566
2	2052	7046	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली 2.0	45,00,00,000	-	45,00,00,000	0
3	4070	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	18,55,000	-	18,55,000	0
			योग	53,51,38,000	100	53,51,38,100	4,90,16,566

(शीर्ष 06–2052–00–091–0000–4295–01–020 त्यौहार अग्रिम, 021 त्यौहार अग्रिम वापसियां, 022 अनाज अग्रिम, 023 अनाज अग्रिम वापसियां, वास्तविक व्यय में शामिल नहीं किया गया है।)

❖ **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत वर्ष 2025 में प्राप्त प्रकरणों के क्रियान्वयन की जानकारीः–**

प्राप्त आवेदन पत्र	निराकृत	अस्वीकृत
(1)	(2)	(3)
02	02	–